न्यायालयः—मधुसूदन जंघेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म०प्र०)

<u>दाण्डिक प्र0क0-80 / 2017</u> <u>संस्थित दिनांक-21.02.2017</u> फा.नंबर-2872017

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र मलाजखंड, जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोजन

!! विरुद्ध !!

सुखचंद पिता सोहनसिंह वरकड़े, उम्र–30 वर्ष, जाति गोंड, निवासी ग्राम डाबरी वार्ड नंबर–1 चौकी डाबरी थाना लांजी जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....आरोपी

!! निर्णय !! (दिनांक 26/06/2018 को घोषित किया गया)

- 01:— उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 09.11.2016 को सुबह 10:00 बजे थाना मलाजखंड अंतर्गत ग्राम झाको में फरियादी श्यामु के घर के सामने लोकमार्ग पर वाहन एम.पी.50एम.के.9059 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित करने, इस प्रकार धारा 279 भा.दं. वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।
- 02:— प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 19.06.2018 को आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को धारा—338 भा0दं0वि0 के आरोपों से दोषमुक्त किया गया। धारा 279 भा0दं0वि0 राजीनामा योग्य न होने से उक्त धारा में विचारण किया गया।
- 03:— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 09.11.2016 को सुबह लगभग 10:00 बजे सूरजबाई सीताबाई मरकाम के साथ अपने लड़के निखिल को स्कूल छोड़ने के लिए सड़क पर जा रहे थे, उसी समय पाथरी तरफ से आरोपी मोटर सायकिल को तेजी लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आया और निखिल को टक्कर मार दिया। गिरने से निखिल के हाथ—पैर एवं सिर में चोट आई। आहत निखिल को ईलाज के लिये अस्पताल ले गये। घटना के उपरांत थाना मलाजखंड में अपराध कमांक 8/17 धारा—279, 337, 338 भा.द.वि. का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04:— आरोपी ने अपने अभिवाक् में आरोपित अपराध से अस्वीकार किया है तथा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में कोई विपरीत साक्ष्य न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।

05:-प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं:-

1.क्या आरोपी ने दिनांक 09.11.2016 को सुबह 10:00 बजे थाना मलाजखंड अंतर्गत ग्राम झाको में फरियादी श्यामु के घर के सामने लोकमार्ग पर वाहन एम.पी.50एम.के.9059 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?

!! निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण !! विचारणीय प्रश्न कमांक:-01

06:— सूरजकुंवर अ.सा.—01 ने बताया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व दिन के 10 बजे की है। घटना के समय वह अपने भाई—बहू सीताबाई के साथ लड़का लिखन को स्कूल भेजने के लिए गई थी, उसी समय मोटर सायिकल वाला आ रहा था। उसके लड़के का मोटर सायिकल से टक्कर हो गया। लड़के को चोट आई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लेख किया था। मौका नक्शा प्र.पी.01 तैयार किया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी सुखचंद वरकड़े तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित किया था। यह स्वीकार किया है कि उसने व उसके पित ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है, किन्तु इससे इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण सही बात नहीं बता रही हूँ। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को आरोपी का नाम एवं वाहन का नंबर नहीं बताया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

07:— श्यामुसिंह अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व दिन के 10 बजे की है। घटना के समय उसकी पित्न सूरजकुंवर अपने भाई—बहू सीताबाई के साथ लड़का लिखन को स्कूल भेजने के लिए गई थी, उसी समय मोटर सायिकल वाला आ रहा था। उसके लड़के का मोटर सायिकल से टक्कर हो गया। लड़के को चोट आई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लेख किया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी सुखचंद वरकड़े मोटर सायिकल कमांक एम.पी.50एम0के09059 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित किया था। इससे इंकार किया है कि पुलिस को कथन प्र.पी.02 में आरोपी द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने के बारे में बताया था। यह स्वीकार किया है कि उसने व उसकी पित्न ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है, किन्तु इससे इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण सही बात नहीं बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को आरोपी के वाहन का नंबर नहीं बताया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

08:— इस प्रकार साक्षी सूरजकुंवर अ.सा.—01 एवं श्यामुिसंह अ.सा.02 ने आरोपी द्वारा तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित किये जाने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किये हैं। प्रकरण के दोनों साक्षियो द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है, जिससे आरोपी द्वारा लोकमार्ग पर उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किये जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है। आहत के अवयस्क होने से उसके माता—पिता द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लिये जाने एवं अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन ने अपने शेष अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया गया है। फलतः उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत सूरजमल बनाम स्टेट (देहली एडिमनीस्ट्रेशन) ए.आई.आर. 1979 सु.को.

1408 एवं हीरालाल बनाम स्टेट आफ एम.पी. 2010 (2) म.प्र. वी.नो. 79

<u>म.प्र.</u> अवलोकनीय है। फलतः अभियोजन का मामला स्वयं आहतगण द्वारा
मामले का समर्थन नहीं किये जाने से प्रमाणित नहीं पाया जाता।

09:— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 09.11.2016 को सुबह 10:00 बजे थाना मलाजखंड अंतर्गत ग्राम झाको में फरियादी श्यामु के घर के सामने लोकमार्ग पर वाहन एम.पी.50एम.के.9059 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया। फलतः आरोपी को धारा 279 भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

10:- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

11:— आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। आरोपी के पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

12:— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर सायिकल क्रमांक—एम.पी.50एम. के.9059 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अपील अविध पश्चात् अपील न होने की दशा में सुपुर्दनामा सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

"मेरे निर्देश पर टंकित किया"

सही / —
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही / – (मधुसूदन जंघेल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)